

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 863/2023  
अनवान : -

1. विकास कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. चावली पत्नी श्रीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. हरिसिंह पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. कृष्णा पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. इन्द्रा पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. शर्मिला पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. शारदा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. प्रियंका पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. कमलेश पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0  
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक:- 29/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के खाता संख्या 130/129 की कुल 13.1050 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 6 पीपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 45/46 की कुल 3.3510 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी राजीनामा हो चुका है मुताबिक बाहमी राजीनामा प्रतिवादीगण संख्य 1 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में परित्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि पर वादी अकेला काबिज है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 ता 2 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 9 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2075-78 रोही मौजा बिरकाली बारानी खाता संख्या 130/129, रोही मौजा 6 पीपीएम खाता संख्या 45/46, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 8 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।


परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के खाता संख्या 130/129 की कुल 13.1050 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 6 पीपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 45/46 की कुल 3.3510 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 8 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया

जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के खाता संख्या 130/129 की कुल 13.1050 हैक्ट भूमि का एवं रोही मौजा 6 पीपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 45/46 की कुल 3.3510 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त दोनो खातों में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/02/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 863/2023

अनवान : -

1. विकास कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. चावली पत्नी श्रीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. हरिसिंह पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. कृष्णा पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. इन्द्रा पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. शर्मिला पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. शारदा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. प्रियंका पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. कमलेश पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 863 सन 2023 निर्णय दिनांक - 29/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मांगीराम बैनीवाल व राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के खाता संख्या 130/129 की कुल 13.1050 हैक्ट भूमि का एवं रोही मौजा 6 पीपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 45/46 की कुल 3.3510 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त दोनों खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/02/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर